झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–4/स0भू0हजा0–202/16........................../रा0, राँची, दिनांक–...............

विषयः– **झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं विकास के लिए आवश्यक राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निःशुल्क हस्तांतरण के लिए विभागीय संकल्प सं0–1126/रा0, दिनांक–20.03.15 द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रदत्त शक्ति को संशोधित करते हुए उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने के संबंध में।**

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गो के चौड़ीकरण एवं विकास का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति उपरान्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा कराया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु निजी स्वामित्व भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 के अन्तर्गत किया जाता है। निजी स्वामित्व की भूमि के अतिरिक्त राज्य सरकार के स्वामित्व के भूमि की अवश्यकता भी होती है।

2. देखा जा रहा है कि झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं विकास के लिए आवश्यक राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को शीघ्र उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जबकि प्रदेश में चलाई जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के योजनाओं/परियोजनाओं का ससमय प्रारंभ होने एवं त्वरित रूप से क्रियान्वयन के लिए भूमि का शीघ्र हस्तांतरण किया जाना अपेक्षित है।

3. मंत्रिपरिषद् की बैठक दि0–04.10.2016, के मद सं0–02 में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय परिपत्र सं0–1245/रा0, दि0–06.05.2010 को संशोधित करते हुए विभागीय संकल्प सं0–5504/रा0, दिनांक–07.10.16 द्वारा अंतर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति प्रमण्डलीय आयुक्त के स्थान पर उपायुक्त को प्रत्यायोजित की गयी है।

4. मंत्रिपरिषद द्वारा केवल अन्तर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तांतरण की शक्तियाँ उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त निर्णय के सदृश NHAI को सरकारी भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण त्वरित गति से होने के लिए संबंधित उपायुक्त को मामले का निस्तार की शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि :–

" झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं विकास के लिए आवश्यक राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के स्वामित्व की सरकारी भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निःशुल्क हस्तांतरण के लिए विभागीय संकल्प सं0–1126/रा0, दिनांक–20.03.15 द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रदत्त शक्ति को संशोधित करते हुए उपायुक्त को प्रत्यायोजित किया जाता है। "

आदेशः–इस संकल्प को ई–गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(धर्मेन्द्र पाण्डेय)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :–4/स0भू0हजा0–202/16................../रा0 राँची, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/योजना–सह–वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :–4/स0भू0हजा0–202/16..6441../रा0 राँची, दिनांकः– 20-12-16

प्रतिलिपिः– राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ तथा नोडल पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को ई–गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

20/12/16
सरकार के विशेष सचिव

robinE:\sanglekh\202.16 NHAI.docx